प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि गाड़ियों में बड़ी संख्या में जो अनधिकृत वेंडर रहते हैं, क्या उनसे निर्धारित शुल्क वसूल करके उन्हें अपना सामान बेचने के लिए लाइसेंस दे दिया जाए,

इस प्रश्न पर विचार किया गया है और इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Negative Growth rate in the Shipping Industry

*336. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:
SHRI VISHNU KANT *SHASTRI*:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be please to state:

(a) whether it is a fact that national fleet of ships has registered negative growth despite the fact that the industry is enjoying better freight market conditions;

(b) what were the fleet strength and G.R.T. of the country during the last three years;

(c) what is country's share in the liner trade and dry bulk trade;

(d) what percentage of our oil imports are transported through Indian shipping; and

(e) what steps are being taken by Government to increase the earnings of the industry?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) No, Sir.

(b) The fleet strength and GRT of Indian Tonnage for the last three years is as under:

As on	No. of Ships	GRT (In Million)
31.3.1990	408	5.979
31.3.1991	418	6.039
31.3.1992	412	5.906
30.11.1992	431	6.286

(c) The country's share in the overseas liner trade and dry bulk trade for the last three years is given below:

Year	*Liner Trade*		*Dry Bulk Trade*	
	Total (in Million Tons)	*Indian Lines*	*Total (in Million Tons)*	*Indian Lines*
1988-89	14.20	14.2%	57.42	22%
1989-90	16.88	16.4%	59.30	24.8%
1990-91 (Provisional)	17.96	12.6%	57.58	27.2%

(d) The total imports of oil/oil products and other liquid cargo transported through Indian Shipping Companies are as under:

Year	*Total Imports (In million Tons)*	*Share of Indian Lines*	*Percentage*
1988-89	28.36	19.86	70%
1989-90	28.17	20.61	73.2%
1990-91 (Provisional)	30.83	20.44	66.3%

(e) The Steps taken in this regard recently include:

(i) automatic approval for acquisition of vessels by Ship Owning Companies except Crude Tankers and OSVs and sale of ships;

(ii) acquisition through Bareboat charter-cum-demise;

(iii) freedom to charter out ships;

(iv) retention by shipping companies of sale proceeds of ships abroad for fresh acquistions.

गुजरात को मिट्टी के तेल का आवंटन

*377. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 1992 से अब तक गुजरात को कितनी मात्रा में मिट्टी का तेल आवंटित किया गया है;

(ख) राज्य को कितना तेल प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन मिट्टी के तेल के वितरकों के कमीशन में वृद्धि करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख) जनवरी, 1992 से अक्तूबर, 1992 तक गुजरात को आवंटित और प्रेषित मिट्टी के तेल की मात्रा क्रमशः 638796 मी० टन और 639647 मी० टन थी।

(ग) जी, हां।

(घ) यह सरकार के विचाराधीन है।

भारतीय वन सेवा

*338. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया**: क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1990 से 31 मार्च, 1992 तक भारतीय वन सेवा के अधीन प्रशिक्षित कितने अधिकारियों को सीधी भर्ती द्वारा विभिन्न राज्यों में राज्य-वार नियुक्त किया गया है; और

(ख) इस अवधि के दौरान कितने अधिकारियों को विभागीय पदोन्नति के द्वारा मंडल वन अधिकारी और वन संरक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया तथा उनकी तैनाती का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) वर्ष 1987, 1988 और 1989 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय वन सेवा परीक्षाओं के आधार पर 31 मार्च, 1990 से 31 मार्च, 1992 के दौरान 246 अधिकारियों को राज्यों में नियुक्त किया गया। नियुक्त अधिकारियों का राज्य-वार ब्यौरा सदन के पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिये।)

(ख) इस अवधि के दौरान, राज्य वन सेवा के 71 अधिकारियों को भारतीय वन सेवा में पदोन्नत किया गया। राज्य-वार सूचना सदन के पटल पर रखे गए विवरण में दी गई है। (नीचे देखिये।)

भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की वन संरक्षकों के पदों पर पदोन्नति संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा की गई इस प्रकार की पदोन्नतियों की संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

विवरण

(क) 31 मार्च, 1990 से 31 मार्च, 1992 तक की अवधि के दौरान राज्यों को आवंटित सीधी भर्ती हुये भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की राज्य-वार संख्या:

क्र०सं०	राज्य	कुल संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	8
2.	असम	5
3.	बिहार	13
4.	गुजरात	9
5.	हरियाणा	12
6.	जम्मू व काश्मीर	4
7.	केरल	7
8.	कर्नाटक	18
9.	मध्य प्रदेश	47
10.	महाराष्ट्र	10
11.	मणिपुर	6
12.	मेघालय	2
13.	नगालैंड	2
14.	हिमाचल प्रदेश	9
15.	उड़ीसा	12
16.	पंजाब	5
17.	राजस्थान	13
18.	तमिलनाडु	14
19.	त्रिपुरा	6
20.	सिक्किम	1
21.	पश्चिम बंगाल	7
22.	उत्तर प्रदेश	31
23.	संघ राज्य क्षेत्र	5
		246

*भारतीय वन सेवा परीक्षा, 1987, 1988 और 1989 के माध्यम से भर्ती उम्मीदवार।